दिनांक-29.11.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

थर्माकोल की बोरियों को सड़क पर फेंकना पड़ा महंगा , देना पड़ा 5000 जुर्माना, उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ सुभाष चौक काशी थर्माकोल के व्यवसायी द्वारा गुपचुप तरीके से लगभग 25 से 30 थर्माकोल की बोरियों को अलग-अलग क्षेत्रों में फेंककर गंदगी फैलाई जा रही थी , सफाई कर्मचारियों के द्वारा देख लिए जाने पर व्यापारी के कर्मचारी वहां से नदारद हो गए जिनके दुकान का पता लगाकर उड़नदस्ता की टीम मौके पर पहुंच गई तथा गंदगी फैलाने पर 5000 अर्थदंड वसूली की कार्यवाही की तथा समझाइश दी गई कि कचरा इधर-उधर न फेंके अन्यथा लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी!

नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वार्ड क्रमांक 03, 05, 06,13 तथा 19 के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से जो कि अनुज्ञप्ति लायसेंस नहीं होने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय करने, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ आदि पर कार्यवाही करते हुए कुल 17000 हजार अर्थदण्ड वसूल कर समझाइश दिए। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड क्रमांक 03, वार्ड 05, वार्ड 06, वार्ड 13 व वार्ड 19 के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ , नालियों पर कचरा डालने वाले , सफाई व्यवस्था एवं लायसेंस आदि का जायजा लिया गया तथा 11 व्यवसायियों से 17000 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

जनसम्पर्क अधिकारी